राज्य निर्वाचन आयोग

पंत्रांक संख्या-502/रा0नि0आ0-2/1031/2009
देहरादून दिनांक 07 अगस्त, 2009

अधिसूचना।

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल की नियत अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो रही है तथा उक्त जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत के आगामी सामान्य निर्वाचन से पूर्व पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अंतर्गत एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम-1947) (यथासंशोधित) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचन नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु एतद्‌द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा:-

जनपद हरिद्वार में पंचायत निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम-2009-10:-

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
(क)1- ग्राम पंचायत वार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति।	10-08-2009 से 13-08-2009 तक एवं 16-08-2009 से 22-08-2009 तक	11 दिन
2- कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्‌संबंधी जानकारी प्राप्त करना	23-08-2009 से 06-09-2009 तक	15 दिन
3- प्रशिक्षण अवधि	07-09-2009 से 26-09-2009 तक	20 दिन
(ख) संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	27-09-2009 से 25-11-2009 तक	60 दिन
(ग) प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	26-11-2009 से 16-12-2009 तक	21 दिन

कमशः.............2

(ध)	प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	17-12-2009 से 14-02-2010 तक	65 दिन
(ङ)	निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	15-02-2010 से 28-02-2010 तक	14 दिन
(च)	दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	01-03-2010 से 07-03-2010 तक	07 दिन
(छ)	दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	08-03-2010 से 06-04-2010 तक	30 दिन
(ज)	पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	07-04-2010 से 26-04-2010 तक	20 दिन
(झ)	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	02-05-2010	--

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार तथा जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में ढुग्गी पिटवाकर सर्व-साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा। सर्व-साधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चिय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने पर या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अधीन दायर की गयी है।

इस हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि **01 जनवरी, 2010** निधारित करते हुए जनपद हरिद्वार में पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। पुनरीक्षण में यथास्थिति निर्वाचक नामावलियों की परिविश्टियों को संशोधित, विलोपित अथवा परिवर्धित किया जायेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलत किये जायेंगे जिन्होंने **01 जनवरी, 2010 को 18 वर्ष** की आयु पूर्ण कर ली हो और जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हो। पुनरीक्षण के पश्चात परिवर्धित, विलोपित एवं संशोधित निर्वाचक नामावली ही आगामी सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

ह0/-

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

कमशः.............3

<u>संख्या 502/रा0नि0आ0अनु-2/1031/2009 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2-जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पं0/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

3-आयुक्त गढ़वाल मण्डल।

4-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

6-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8-सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।

9-निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।

10-निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।

11-प्रभारी अधकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।

12-महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें।तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु प्रेषित करा दें।

13-संयुक्त-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 20 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14-आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

15-सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

16-गार्ड फाइल

ह0/-

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।